क्रमांकः जविप्रा/अति.मु.न.नि./मा.प्लान./2026/डी– दिनांक

लोक सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन हेतु प्रभावी जयपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2025 के विभिन्न भू–उपयोगों में अनुमत/अनुज्ञेय गतिविधियों के संबंध में Vol-4 DPCR (Development Promotion & Control Regulations) में नियम/प्रावधान अंकित है। जविप्रा भवन मानचित्र समिति (बीपीसी–एलपी) की 433वी बैठक दिनांक 23.06.2026 में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के मास्टर विकास योजना–2025 के DPCR में संशोधन किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है–

ग्रामीण भू–उपयोग में Storage perishable/ hazardous/ inflammable goods गतिविधि, एवं अन्य भण्डारण संबंधित गतिविधि यथा वेयरहाउस, कन्टेनर डिपो समान प्रकृति के ही हैं। अतः ग्रामीण भू–उपयोग में वेयरहाउस, कन्टेनर डिपों गतिविधि मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु वेयरहाउस आदि उपयोग में काफी मात्रा में भारी वाहनों के आवागमन के दृष्टिगत, ऐसे समस्त प्रकरण ग्रामीण भू–उपयोग में न्यूनतम 30 मीटर सडक व न्यूनतम 1 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर ही अनुज्ञेय किये जा सकेंगे।

भवन मानचित्र समिति (बीपीसी–एलपी) के उक्त निर्णय के क्रम में मास्टर विकास योजना–2025 डीपीसीआर वॉल्यूम–04 की तालिका संख्या–10.12 (Permitted use premises in Rural area) में निम्नानुसार नवीन प्रावधान, बिन्दु संख्या 26 जोडना प्रस्तावित है।

10.12 Permitted Use Premises In Rural Area

S. no.	Activity	Min. Area required (Hect)	Road width (meter)	Definitions	Use Premises
26	Warehouse, Container depot	1.0 Hect	30 m & above	–	–

अतः जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 25(3) के अन्तर्गत जारी इस लोक सूचना में उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में किसी संस्था/व्यक्ति/जनसाधारण को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपने आपत्ति/सुझाव इस लोक सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता/मास्टर प्लान प्रकोष्ठ को लिखित में प्रस्तुत करे। इस लोक सूचना के प्रकाशन होने के 30 दिवस की अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आपत्ति/सुझावों पर विचार नही किया जायेगा।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. शासन उप सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जनसंपर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त लोक सूचना का प्रकाशन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये जाने हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. नोटिस बोर्ड।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Designation : Secretary
Date: 2026.08.19 16:36:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24059543
M e-Sign